



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का  
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन  
( निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा )



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



बिहार सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-5

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का  
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन  
(निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा)

बिहार सरकार  
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-5



## विषय सूची

| अध्याय संख्या | विवरण  | संदर्भ   |                      |
|---------------|--|----------|----------------------|
|               |  | कंडिकाएँ | पृष्ठ / अभ्युक्तियाँ |
|               | प्राक्कथन  |          | iii                  |
|               | विहंगावलोकन  |          | v                    |
| <b>I</b>      | <b>परिचय</b>   |          |                      |
|               | इस प्रतिवेदन के बारे में   | 1.1      | 1                    |
|               | लेखापरीक्षिती रूपरेखा  | 1.2      | 1                    |
|               | सरकार की प्रतिक्रिया   | 1.3      | 1                    |
|               | राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुतीकरण की स्थिति | 1.4      | 4                    |
| <b>II</b>     | <b>निष्पादन लेखापरीक्षा</b>  |          |                      |
|               | <b>कृषि विभाग</b>  |          |                      |
|               | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना   | 2        | 5                    |
| <b>III</b>    | <b>विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा</b>   |          |                      |
|               | <b>वित्त विभाग</b>   |          |                      |
|               | वित्त विभाग में आंतरिक नियंत्रण  | 3        | 39                   |
| <b>IV</b>     | <b>विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा</b>   |          |                      |
|               | <b>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग</b>  |          |                      |
|               | अवसर बढ़े आगे पढ़े के अन्तर्गत स्थापित अभियंत्रण एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों की कार्यपद्धति    | 4        | 53                   |
| <b>V</b>      | <b>एकल कंडिकाएं</b>  |          |                      |
|               | <b>पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग</b>  |          |                      |
|               | निष्फल व्यय  | 5.1      | 65                   |
|               | <b>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</b>   |          |                      |
|               | अलाभकारी व्यय  | 5.2      | 67                   |
|               | <b>सामाजिक कल्याण विभाग</b>  |          |                      |
|               | अस्वीकार्य भुगतान  | 5.3      | 68                   |
|               | निष्क्रिय व्यय   | 5.4      | 69                   |

| परिशिष्ट        |  |               |              |
|-----------------|--|---------------|--------------|
| परिशिष्ट संख्या | विवरण  | कंडिकाएं      | पृष्ठ संख्या |
| 1.1             | लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाओं को दर्शाती विवरणी  | 1.3.1         | 73           |
| 1.2             | निरीक्षण प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं में अनियमितताओं के विभिन्न प्रकार को दर्शाती विवरणी   | 1.3.1         | 74           |
| 1.3             | मार्च 2021 को समाप्त होने वाली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा/विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा ज्ञापनों की स्थिति | 1.3.3         | 75           |
| 1.4             | राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति दर्शाती विवरणी  | 1.4           | 76           |
| 3.1             | बचत के अभ्यर्पण में विलंब का विवरण   | 3.2.2 & 3.2.3 | 77           |
| 3.2             | बचत का शीर्ष-वार 100 प्रतिशत अभ्यर्पण की स्थिति  | 3.2.2         | 79           |
| 3.3             | नमूना जाँच किए गए बी.डी.ओ. कार्यालयों में निष्क्रिय बैंक खातों की सूची   | 3.2.4         | 83           |
| 3.4             | बिना किसी औचित्य के भुगतानों के विवरण की स्थिति  | 3.2.8         | 84           |
| 4.1             | प्रति वर्ष आवर्ती व्यय   | 4.2.3         | 85           |
| 4.2             | अवसर बढ़े आगे पढ़े के अंतर्गत स्थापित अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में मानव संसाधनों की स्थिति                                     | 4.4           | 86           |
| 4.3             | अन्य संस्थानों के परिसरों में कार्यरत संस्थानों की सूची  | 4.6           | 90           |

## प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में कृषि, वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और समाज कल्याण के विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो 2020-21 की अवधि के लिए नमूना-लेखापरीक्षा के क्रम में ध्यान में आया साथ ही जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाए गए, परन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे। 2020-21 के अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामलों को, जहाँ आवश्यक हो, अद्यतन स्थिति देते हुए शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा अवलोकन सीमित नमूना-जाँच पर आधारित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपादित किए गए हैं।



© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

प्रतिवेदन डाउनलोड करने हेतु क्यू.आर. कोड स्कैन करें



[www.ag.bih.nic.in](http://www.ag.bih.nic.in)